//प्राथमिकता/ समयबद्ध//

पत्र सं0-स्था0-6-सामान्य स्क्रीनिंग 2019-20/ 1497 /वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश
(स्थापना-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनाक 08 जुलाई, 2019

1- एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर,
नोयडा।
2- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
4-समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषयः-विभाग में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्त हेतु स्क्रीनिंग के संबंध में।

शासन के कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र सं0-13/2007/का-1-2019 दिनांक 20-06-2019 के अनुपालन में समूह-ग एवं घ के पदों पर दिनांक 31-03-2019 तक 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के संबंध में सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समयबद्ध तरीके से कार्यवाही पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

इस सबंध में उक्त शासन के पत्र सं0--974/11-3-2019 दिनांक 28 जून, 2019 समस्त संलग्नकों सहित इस आशय से आपको प्रेषित किया जा रहा है कि कृपया अपने जोन के अधीन समूह-ग एवं घ के जिन कर्मचारियों के नियुक्त प्राधिकारी अधीनस्थ स्तर पर उपलब्ध हैं उनके संबंध में उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31-03-2019 तक 50 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले या उससे अधिक आयु के ऐसे अकर्मण्य कर्मचारियों के विरुद्ध सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार स्क्रीनिंग की कार्यवाही कराकर स्क्रीनिंग किये गये कर्मचारियों की सूची तुरन्त मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसी क्रम में यह भी कहना है कि जिन अकर्मण्य कर्मचारियों के नियुक्त प्राधिकारी मुख्यालय पर है उनके विरुद्ध स्क्रीनिंग की कार्यवाही हेतु आवश्यक प्रस्ताव 11-07-2019 तक मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये, ताकि उनके विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर शासन को निर्धारित समयावधि में अवगत कराया जा सके।

क्रमश---2

उक्त कार्यवाही के उपरान्त यदि बाद में किस ऐसे अकर्मण्य कर्मचारी की सूचना संज्ञान में आती है जिसके मामले में विचार किया जाना छूट गया है तो ऐसे मामलों में संबंधित जोन के ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक)वाणिज्य कर, उत्तरदायी माने जायेंगे । इसलिए उक्त प्रकरण में गंभीरतापूर्वक परीक्षणोंपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाये ताकि कोई पात्र अकर्मण्य कर्मचारी विचार होने से छूट न जाये ।

संलग्नक:-यथोपरि ।

05/07/19

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृ0पं0सं0 व दिनाक एवं उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:--

1- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन को सूचनार्थ प्रेषित ।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर(सग्रह)वाणिज्य कर, मुख्यालय ।

3- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय बेवसाईट पर लोड कराने हेतु।

4- पटल प्रभारी स्था-3(क/ख) /5क / 5ग को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों से मुख्यालय स्तर से की जाने वाली स्क्रीनिंग की कार्यवाही के मामलों में प्राप्त प्रस्ताव पर नियमानुसार सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रत्येक पटल प्रभारी द्वारा दो दिन के अन्दर निस्तारण की कार्यवाही करायी जायेगी ।

5- समस्त चरित्र पंजिका पटल प्रभारी मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि 50 वर्ष से अधिक आयु के अर्कमण्य कर्मचारियों की चरित्र पंजिका सरांश दिनांक 11-07-2019 तक तैयार कर ले और संबंधित पटल प्रभारियो को प्राप्त करा दें, ताकि निर्धारित समय के अन्दर स्क्रीनिंग की अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण हो सके ।

संलग्नक:-यथोपरि

05/07/19

एडीशनल कमिश्नर(प्रशासन)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

प्राथमिकता/समयबद्ध

संख्या–974/11–3–2019

प्रेषक,

एस0पी0 शुक्ल,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0, लखनऊ।

2– निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–3 लखनऊःदिनांकः 28 जून, 2019

विषयः– **सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग–1 के पत्र संख्या–13(1)/2007/का–1–2019 दिनांक 20-06-2019 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में की गई अपेक्षानुक्रम में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु नियमानुसार स्क्रीनिंग की कार्यवाही कराते हुये सूचना 02 प्रतियों में शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःयथोक्त

भवदीय,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

सर्वोच्च प्राथमिकता

संख्या- 13(1)/2007/का-1-2019

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 20 जून, 2019

विषय:-सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग ।

महोदय,

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 से 4 में प्रकाशित मूल नियम-56" में यह व्यवस्था है कि नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी नोटिस ...

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-13/48/85-कार्मिक-1 दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत वर्णन किया गया है । इस प्रयोजन हेतु शासनादेश संख्या-13/5-89-का-1-1989, दिनांक 06 फरवरी, 1989, शासनादेश संख्या-13/6/98-का-1-98, दिनांक 21 मई, 1998, शासनादेश संख्या-868/13/6-98-का-1-2000, दिनांक 23 सितम्बर, 2000, शासनादेश संख्या-199/का-

-2001, दिनांक 23 सितम्बर, 2000, शासनादेश संख्या-13(1)/2007/का-1-2007, दिनांक 25 जनवरी, 2007, शासनादेश संख्या-3/2017/13(1)/2007/का-1-2017, दिनांक 06 जुलाई, 2017 तथा शासनादेश संख्या-9/2018/13(1)/2007/का-1-2018, दिनांक 06 जुलाई, 2018 भी निर्गत किये गये है।

2- उक्त के क्रम में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 30.06.2019 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय। ज्ञातव्य है कि 50 वर्ष की आयु के निर्धारण हेतु कट-आफ-डेट दिनांक 31 मार्च, 2019 होगी, अर्थात् ऐसे सरकारी सेवक जिनकी आयु दिनांक 31 मार्च, 2019 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक होगी, स्क्रीनिंग हेतु विचारण क्षेत्र में आयेंगे।

3- यह भी अवगत कराना है कि 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख कर यदि उसे सेवा में बनाये रखने का एक बार निर्णय ले लिया गया हो तो सामान्यतया उसके मामले को अब सम्पन्न होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु ऐसे मामले में भी यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में आते है, तो वे किसी भी समय उक्त मूल नियम-56 के तहत उक्त सरकारी सेवक को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्ति करने का निर्णय ले सकते है या यथास्थिति उसका मामला स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख सकते है।

4- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराकर अपने अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन [illegible] कर, समेकित रूप से (क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न-भिन्न

अनुभाग के स्तर से प्राप्त सूचनायें अनुश्रवण हेतु ग्रहण/संकलित नहीं की जायेगी), स्वहस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर कार्मिक अनुभाग-1 को दिनांक 03.07.2019 तक अवश्य उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

([illegible] चन्द्र पाण्डेय)

संख्या- /2019/13(1)/2007(i) /का-1-2019, तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. मा0 महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख सचिव, राज्यपाल महोदय, उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
9. मीडिया सलाहकार, मा0 मुख्य मंत्री जी।
10. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मुकुल सिंहल)

अपर मुख्य सचिव ।